LL.B.-1st Sem. Paper -7 Legal Language/

Legal Writing Including Ganeral English

Note – Anawer any five question in all, selecting at least one question from each unit. All question carry equal marks.

Unit –I

Question 1:- संघ और राज्यों की राजभाषा के सम्बन्ध में संविधान के अन्तर्गत दिये गये प्रावधान हिन्दी और अन्य के समर्थकों के बीच एक समझौते को दर्शाते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है? स्पष्ट कीजिए।

Answer :- भारत की राजभाषा के रूप में **हिन्दी** को भारत की **राजभाषा** के रूप में 14 सितम्बर सन् 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद **संविधान में अनुच्छेद 343 से 351** तक राजभाषा के साम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष **हिन्दी दिवस** के रूप में बनाया जाता है।

धारा 343 (1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी एवं **लिपि देवनागरी** है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अंको का रूप भारतीय **अंको** का अंतराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात् 1,2,3 आदि) है।

संसद का कार्य हिन्दीं में या अंग्रजी में किया जा सकता है। परन्तु राज्यसभा के सभा पति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 120 किन प्रयोजनों के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाना है किन के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यो के लिए अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किये जाने का औचित्य–

हिन्दी को राजभाषा का सम्मान कृपापूर्वक नहीं दिया गया, बल्कि यह उसका अधिकार है। यहां अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

द्वारा बताये गये निम्नलिखित लक्षणों पर दृष्टि डाल लेना ही पर्याप्त रहेगा, जो उन्होनें एक राजभाषा के लिए बताये थे–

1. अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।
2. उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक,आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।
3. यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।
4. राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।
5. उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

   इन लक्षणों पर हिन्दी भाषा बिल्कुल खरी उतरती है।

संघ की राजभाषा (अनुच्छेद 343)

1. संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंको का रूप भारतीय अंको का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
2. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा

   (क) अंग्रेजी भाषा का या **(ख)** अंको के देवनागरी रूप का,

   ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए।

Question 2:- **आप क्या समझते है कि 'भाषा' और 'विधि' के बीच एक विशेष संबन्ध है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में कार्यवाही की भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? विवेचना कीजिए।**

Answer :- उच्चत्तम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा (अनुच्छेद348)

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक–

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियों अंग्रेजी भाषा में होगी,

(ख) (i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान–मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के , और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान–मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होगें।

2. खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होनेवाली किसी अन्य भाषा का प्रयोंग प्राधिकृत कर सकेगा।

परन्तु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिय गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहॉ किसी राज्य के विधान–मंडल ने, उस विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा**(iv)** में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Unit- II

Question 3:- निम्न लिखित गघांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिएः

आपराधिक तत्व के दो आवश्यक तत्व हैं–

(अ) शारीरिक तत्व, जिसको सामान्यतया 'आपराधिक कार्य' कहते हैं, और

(ब) मानसिक तत्व, जो कि सामान्यतया 'आपराधिक मनः स्थिति के नाम से जाना जाता है। शारीरिक तत्व जो अपराध का निर्माण करता है स्पष्ट है क्यों कि आपराधिक कार्य, जिसको अभियुक्त ने किया है, वह वाहय रूप में व्यक्त होता है, किन्तु अभियुक्त द्वारा किया गया सब आपराधिक कार्य सब मामलों में दण्डित नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में अन्य सूत्र जो इतना ही महत्वपूर्ण है, लागू होता है अर्थात् 'वह कार्य जो मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरूद्ध किया गया है वह मेंरा कार्य नहीं है।' यह सूत्र केवल आपराधिक मनः स्थिति को मजबूत करता है।

English Translation

The two essential elements of the criminal element are-
(a) the physical element commonly referred to as the "criminal act", and
(b) The mental factor, commonly known as the 'criminal state of mind'. The physical element which constitutes the crime is evident because the criminal act, which the accused has committed, is expressed outwardly, but every criminal act committed by the accused is not punished in all cases. In such cases the other formula which is equally important is applicable i.e. 'an act which is done by me against my will is not my doing'. This formula only reinforces the criminal mind-set.

Question 4:- Translate the following into Hindi:-

Rule of law is enforced in India. But, since the constitution is the source of all laws. Therefore, it is essential for the validity of administrative power or authority not only that it should be proteceted by any law or Act, but it is also essential that it should be provided and protected by any law or Act, but it is also essential that the law or act must have been made by such authority or legislature whom the Constitution has conferred the right. Therefore, whereas it is enough in England to prove that the the power to perform the administrative actions is given by the parliament or an act of parliament of that country in india, where no legislature is sovereign and all the legislative power can be derived only from the constitution, it is also to be proved that the Act that legislature which give power of performing the impugned administrative act that legislative itself has received the power to pass the said Act by the Constitution.

Hindi Translation

भारत में विधि–शासन का सिद्धान्त प्रवर्तित है। परन्तु यहॉ चूकि सम्पूर्ण विधि का स्त्रोत संविधान है अतः प्रशासनिक शक्ति अथवा प्राधिकार की वैधता के लिए न केवल यह आवश्यक है कि वह किसी अथवा अधिनियम द्वारा प्रदत्त अथवा संरक्षणीय हो, परन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्वयं वह विधि अथवा अधिनियम भी ऐसे प्राधिकरण या विधान मण्डल ने बनाया हो जिसे संविधान द्वारा तदर्थ अधिकार प्रदान किया गया हो। अतः जहॉ ब्रिटेन में यह सिद्ध कर देना पर्याप्त होगा कि प्रशासनिक कार्य को करने शक्ति उस देश की संसद अर्थात् पार्लियामेंट के अधिनियम द्वारा प्रदत्त की गई है, भारत में, जहॉ कि कोई विधानमंडल सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं है और सम्पूर्ण विधायी शक्ति केवल संविधान से ही प्राप्त की जा सकती है, यह भी सिद्ध करना होगा कि जिस विधानमंडल के अधिनियम द्वारा आक्षेपित प्रशासनिक कार्य करने की शक्ति प्रदान की प्रदान की गर्द है स्वयं उस विधानमण्डल को भी उक्त अधिनियम पारित करने का अधिकार संविधान से प्राप्त ळें

Unit- III

Question 5:- निम्नलिखित में से किसी एक वाद का विश्लेषण कीजिएः–

(a) Mohri Bibee Vs Dharmodas Ghose (1903) P.C.
मोहरी बीबी बनाम धर्मोंदास घोष (1903) P.C.

(b) Keshwanand Bharati Vs State of Kerala (1973) S.C. 1461
केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) S.C. 1461

(a) Mohri Bibee Vs Dharmodas Ghose (1903) P.C.

मोहरी बीबी बनाम धर्मोंदास घोष (1903) P.C.

प्रस्तावना (Introduction) – संविदा अधिनियम का यह मुकदमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योकि इसमें यह बात स्पष्ट की गई है कि अवयस्क द्वारा की गई संविदायें शून्य प्रभावी होती हैं।

मुकदमें की घटनायें (Facts of the case)– धर्मोदास घोष नामक एक व्यक्ति ने ब्रहम्दत्त नामक एक अन्य व्यक्ति के नाम एक गिरवीनामा निष्पादित किया और यह कहा कि जिन मकानों की वह गिरवी रख रहा है वह उन्हें 20,000 पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस देगा। उस समय धर्मोदास घोष अवयस्क था और उसका प्रतिनिधित्व उसके एजेण्ट केदारनाथ ने किया था। सम्पर्क एवं पत्र व्यवहार द्वारा केदारनाथ को ज्ञात हुआ कि धर्मोदास एक घोषणा तैयार करवाई, जिसमें धर्मोदास से यह लिखा लिया कि 17 जून 1895 को व्यस्क हो गया।

अवयस्क ने अपनी ओर से अपनी माता से एक मुकदमा ब्रहमदत्त के विरूद्ध स्थापित करवाया जिसमें यह कहा गया कि वह 17 जून 1895 को अवयस्क था। इसलिए कथित गिरवीनामा शून्यप्रभावी है। इस मुकदमें में ब्रहम्दत्त ने अपने बचाव में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये–

1. कि जिस दिन गिरवीनामा लिखा गया था उस दिन वादी वयस्क था,
2. कि न तो उसे और न ही उसके एजेन्ट को इस बात का ज्ञान था कि धर्मोदास अवयस्क था,

3. यदि वह अवयस्क था तो भी उसकी घोषणा मिथ्या थी और वादी किसी भी सहायता का अधिकारी नहीं है।
4. किसी भी सहायता का उस समय तक अधिकारी नहीं रहेगा जब तक कि अवयस्क द्वारा ली गई धनराशि वापस न की जाय।

कलकत्ता उच्च–न्यायालय ने वादी के पक्ष में निर्णय दिया और प्रतिवादी द्वारा दिये गये तर्क स्वीकार नहीं कियें।

प्रतिवादियों ने प्रिवी कौंसिल के समक्ष अपील दायर कर दी और यह तर्क प्रस्तुत किया कि वादी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अधीन यह कहने से विबन्धित हो गये थे कि गिरवीनामा के समय वह अवयस्क था।

निर्णय (judgment)- प्रिवी काउन्सिल ने अपील को खारिज कर दिया और कहा कि अवयस्क द्वारा किया गया गिरवीनामा शून्यप्रभावी है और इस कारण उसे लागू नहीं किया जा सकता है।

(B)Keshwanand Bharati Vs State of Kerala (1973) S.C. 1461

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) S.C. 1461

वाद के तथ्य (fact of the case)- 1970 ई0 में पिटीशन कर्त्ता ने केरल–सुधार अधिनियम,1969 ई0 की वैधता को चुनौती दी तथा उसमें कहा गया कि उसके द्वारा मौलिक अधिकारों जो संविधान के अनुच्छेद 25,26,14 (1) एवं 31 के अन्तर्गत प्राप्त है, उनका उल्लंघन हो रहा है।

जब यह याचिका विचाराधीन थी तो उसी संसद क्रमशः 24वें,25वें,29वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किये। पिटीशनकर्ता ने इस भय से कि उसकी याचिका इन संशोधनों के करण सफल न हो सकेगी, उसने इन संशोधन अधिनियमों को भी चुनौती दी।

निर्णय (judgement)- इस ऐतिहासिक संवैधानिक मामले को जिसमें कि उपर्युक्त संशोधन अधिनियमों को चुनौती दी गई थी, उच्चतम न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ ने सुना जिसकी सुनवाई 69 दिन तक चली। 13 न्यायाधीशों

द्वारा अलग–अलग निर्णय दिये गयें। न्यायालय के बहुमत का मत जिसे 13 में से 9 न्यायाधीश का समर्थन प्राप्त था, निम्न प्रकार हैं–

अनुच्छेद 13(2) में 'विधि' शब्द का अर्थ है विधायिका शक्ति का प्रयोग करके निर्माण की गयी विधि। वह संवैधानिक विधि नहीं है, जो संविधान निर्माणकारी शक्ति के प्रयोग में लाकर निर्मित की गयी है।

प्रातिपादित विधि के सिद्धान्त (Principal of law laid down)- उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित सिद्वान्त प्रतिपादित किये–

1. विवादित संशोधन वैध valid और संवैधानिक Constitutional है और संसद की विधायन क्षमता legislative capacity के बाहर नहीं जाते है।
2. संसद इस प्रतिबन्ध के साथ संविधान के किसी भाग का संशोधन करने की शक्ति रखती है। किन्तु यह संविधान का ढांचा या अनिवार्य आधार नष्ट करने के लिए कोई संशोधन नहीं कर सकती है।
3. संसद संविधान के भाग 3 का संशोधन करने की शक्ति रखती है जिससे व्यक्तियों के मूल अधिकार छीने जा सकें या उन्हें कम किया जा सके।
4. अनुच्छेद 19(1) (च) और अनुच्छेद 31 परस्पर अनन्य (mutuality exclusive) है

Question 6:- निम्नलिखित में सें किन्हीं दो की व्याख्या कीजिएः

(a) इग्नोरेन्सिया ज्यूरिस नान एक्सक्यूस्ड (ignorantia juris non excusat)

(b) यूीव एस ईवी रिमीडियम (ubi jus ibi remedium)

(c) आडि आल्ट्रम पारटम (audi alteram partem)

(d) नेमो डेट क्यूड नान हैबिट (nemo dat quod non habet)

(b) यूीव एस ईवी रिमीडियम (ubi jus ibi remedium)- "जहॉ अधिकार है, वहॉ उपचार भी है।' इस प्रकार जहॉ किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है वहॉ कानून में उसे विधिक उपचार अवश्य प्राप्त है अर्थात् वैध क्षति के

लिये विधि में उपचार की व्यवस्था आवश्यक रूप से होती है। यदि इस बात को निषेधात्मक शब्दों में कहा जाए, तो 'जहॉ कोई विधिक उपाय उपलब्ध नहीं है वहॉ कोई अधिकार भी नहीं हो सकता है।'

इस प्रकार अपकृत्य विधि में यदि किसी कृत्य से हुई क्षति के लिये कोई विधिक उपचार उपलब्ध नहीं है तो उस कृत्य को अपकृत्य नहीं माना जायेगा। ऐशबी बनाम ह्वाइट (1703) 2 Lord Raym 938 के वाद में यह निर्णय दिया गया था कि यदि एक व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त है तो उसे उस अधिकार की सुरक्षा के साधन भी प्राप्त होने चाहिए। यदि उस अधिकार के उपयोग में किसी प्रकार का अवरोध के विरूद्ध उपचार भी प्राप्त होना चाहिए। उपचार के बिना अधिकार की कल्पना व्यर्थ ही होती है। अधिकार का अभाव एवं उपचार का अभाव एक दूसरे पर आधारित है।'

(c)आडि आल्ट्रम पारटम (audi alteram partem)- इसका शाब्दिक अर्थ है दूसरे पक्ष को भी सुनो। यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त का पालन सदैव न्यायिक प्रकिया को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए। एक पक्षीय निर्णय न्यायहित में नहीं होता है। जब दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है और प्रस्तुत तथ्यों तथा साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया जाता है तभी निर्णय सर्वागींण माना जाता हैं। इसका उलंघन न्यायिक प्रकिया को दोषपूर्ण बना देता है। यह सिद्धान्त दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में लागू होता है।

उच्चतम न्यायालय ने वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रीसिटी रेगूलेटरी कमीशन बनाम सी. ई.ए.सी. लिमिटेड, (2002) 8 एस.सी.सी. 715 के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि दूसरे पक्ष को सुनो का नियम भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है, जब यह संविधि द्वारा प्रदत्त है तो न्यायालय इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, भले ही ऐसे पक्षकार द्वारा पक्षपात होने के आरोप है। इस सिद्धान्त को इस आधार पर नकार नहीं जा सकता कि इससे व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न होगी।

UNIT -IV

Question 7:- निम्नलिखित में सें किसी एक पर निबन्ध लिखिएः

(a) Public interest litigation – लोकहित

(b) Secularism – पंथनिरपेक्षता

(c) Fundamental Rights – मूल अधिकार

(d) Independence of judiciary – न्यायपालिका की स्वतंत्रता

(a) Public interest litigation – लोकहित – जनहित याचिका का अभिप्राय यह है कि पीड़ित व्यक्तियों के बदले अन्य व्यक्ति और संगठन न्याय की मांग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है परन्तु उसमें न्यायालय में न्याय के लिए जाने की क्षमता नहीं है वैसी स्थिति में अन्य व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक संगठनों की यह अधिकार है कि वे पीड़ित व्यक्ति के बदले न्याय के लिए न्यायालय में याचिका पेश कर सकते हैं। यह व्यवस्था देश के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछ़डे वर्गो के लिए उपलब्ध कराई गई है जिससे उन्हें न्याय मिल सके। उदाहरण के लिए, बंधुआ मजदूरों के लिए जनहित याचिका वरदान साबित हुई हैं इतना ही नहीं देश की आम समस्याओं, जैसे– भष्ट्राचार, को लेकर भी जनहित याचिका ने ऐतिहासिक निर्णय दिलवाया है। जनहित को लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। न्यायविदों ने अखबारी खबरों के आधार पर भी जनहित याचिका को स्वीकार किया है और अपने महत्वपूर्ण निर्णय दिये हैं।

न्यायपलिका गरीबों, शोषितों, उपेक्षितों तथा पद दलितों के लिए अंतिम शरण –स्थल है। अपनी अस्मिता तथा गरिमा की रक्षा के लिए प्रत्येक सुसंस्कृत देश का नागरिक न्यायपालिका की ओर निहारता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित की रक्षा के लिए प्रत्येक सुसंस्कृत देश का नागरिक न्यायपालिका की ओर निहारता है।

ज्नहित याचिका की न्यायाधीश पी0एन0भगवती एवं वी0के0 कृष्णा अय्यर ने 1970 के उत्तरार्द्ध में प्रारम्भ किया जिसे न्यायाधीश जे.एस. वर्मा, वैकटचेलैया एवं कुलदीप सिंह ने आगे बढ़ाया। न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने यहां तक कहा था कि कोई व्यक्ति जनहित याचिका एक साधारण पोस्टकार्ड द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकता है।

(B) Fundamental Rights – मूल अधिकार (मौलिक अधिकार)

भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गयी है यह अमेरिका के संविधान से ली गयी है मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है, जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है–

1.समानता का अधिकार 2. स्वतंत्रता का अधिकार 3. शोषण के विरूद्ध अधिकार 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 5. संस्कृति और शिक्षा से सम्बन्द्ध अधिकार 6. सांवैधानिक उपचारों का अधिकार

मौलिक अधिकार के अन्तर्गत यह बताया गया है कि वे सब कानून, जो संविधान के शुरू होने से ठीक पहले भारत में लागू रह जायेगें जो संविधान के अनूकूल हों अर्थात् उससे मेल खाते हों, यह भी कहा गया कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता, जिससे मौलिक अधिकारों पर आघात होता है।

<u>Question 8:-</u> निम्नलिखित में सें किन्हीं छः का अर्थ लिखिएः

Answer :-

(i) De facto - वस्तुतः

(ii) Res judicata – प्राड़गन्याय का सिद्धान्त

(iii) De jure – विधित

(iv) Inter –alia- अन्य बातों के साथ

(v) Ultra vires – अधिकारातीत अधिकार सीमाओं के बाहर

(vi) Retio decidendi - विनिश्चयाधार

(vii) Alibi – अनुपस्थिति

(viii) Ab initio - आदिता प्रारम्भ से

(ix) Nudum pactum -

(x) Res Mullius -

<u>Question 9</u>:- Write precis and give a suitable title to the following:-

The framers of the constitution were conscious that, in a country of subcontinental dimensions, immense diversities, socio-economic disparities and "multitudinous people, with possibly divided loyaities" security of the nation and stability of its polity could not be taken for granted. The framers, therefore, recognized that, in a grave emergency, the Union must have adequate powers to deal quickly and effectively with a threat to the very existence of the nation on account of external aggression or internal disruption. They look care to provide that, in a situation of such emergency, the Union shall have overriding powers to control and direct all aspects of administration and legislation throughout the country. A violent disturbance, paralyzing the administration of a state, could pose a serious danger to the unity and intergrity of the country. Coping with such a situation of violent upheaval and domestic chaos, may be beyond the capacity or resources of the state. Intervention and aid by the union will be necessary. A duty has, therefore, been imposed by the constitution on the union to protect every state against external aggression and internal disturbance.

<u>Answer</u> :- **Emergency Provisions-** The framers of the constitution were weil aware of the diversities prevailing in india. They wew more conscious to the security of the nation as it could not be taken as for granted. The

visualized threat to the security of the nation due to external aggression and internal disturbanse. They provided for emergency provisions to deal with the situation and cast duty upon the Union to protect every state against such dangers.

Question 10:- एलएलबी तृतीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित करने के लिए रजिस्ट्रार अवध विश्वविद्यालयए फैजाबाद को एक आवेदन पत्र लिखें

The Registrar ,

Avadh University,

Faizabad

Sir ,

Respectfully I beg to state that L.L.B III Year exam, of the university was held in the month of Feb / March, 99. But more than two months have passed and the result of the same is still awaited . I was one of the examines.

The student who are declared successful at the examination, will be required to go for registration with bar council of U.P. for advocacy, which will take some more time. Kindly therefore, arrange for the declaration of the result as early as possible. I will be highly obliged to you for your taking pains in this pursuit. Thanking you

With kind regards

Date 14.02.2020

your obediently

X Y Z

Student of L.L.B.III Year